अति तत्काल

संख्या एन-22/2/2021-पी एण्ड सी
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 14 अक्तूबर, 2021

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए सितंबर, 2021 माह का मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

****

अधोहस्ताक्षरी को उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **सितंबर, 2021** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में संलग्न करने का निदेश हुआ है।

(डी.के. सोनकर)
निदेशक
दूरभाष नं0 23386210

सेवा में,

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य
2. पी.आई.बी./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (सूची के अनुसार)।
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग,योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

उपभोक्ता मामले विभाग
सितंबर, 2021 माह का मासिक सारांश

सितम्बर, 2021 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप/निर्णय।

इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है प्याज, दलहन और आलू की खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करना उपभोक्ता मामले विभाग (डोका) की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है इसिलिए, विभाग का प्रयास बफर प्रबंधन के साथ मूल्य निगरानी की गतिविधियों को एकीकृत करके एक समग्र कार्यनीति विकसित करने पर केंद्रित रहा है। इस एकीकृत दृष्टिकोण में राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट की गई दैनिक कीमतों-थोक और खुदरा और डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा रिपोर्ट की गई मंडी आवकों और मंडी कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है। इस कार्यनीति के प्रमुख पहलू निम्नानुसार है:

1) बफर के लिए दालों की खरीद।
2) मूल्य पूर्वानुमान के लिए मूल्य डेटा का विश्लेषण।
3) खुले बाजार में बिक्री (ओएमएस) के माध्यम से लक्षित निपटान

सितंबर, 2021 के दौरान खरीद कार्यनीति, मूल्य विश्लेषण और बफर से निपटान जैसे प्रत्येक पहलू पर कार्रवाई की गई।

1. बफर के लिए दालों की खरीद।

बफर के लक्ष्य को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है और उपभोक्ता मामले विभाग (डोका) ने इस वर्ष पीएसएस के तहत खरीद के लिए 7.38 एलएमटी तूर और 3.45 एलएमटी उड़द की आवश्यकता के बारे में डीएएंडएफडब्ल्यू को दिनांक 18.8.21 को अवगत करा दिया है। हालांकि, अपर्याप्त पीएसएस खरीद के पिछले वर्ष के अनुभव को देखते हुए, डोका ने उन मंडियों की भी पहचान की है जहां पिछले 3 विपणन सत्रों के दौरान तूर, मसूर और उड़द का पर्याप्त मात्रा में लेन-देन किया गया था, लेकिन कीमतें एमएसपी से लगातार नीचे थीं। उड़द की खरीद के लिए 11 राज्यों असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 90 ऐसी मंडियों की पहचान की गई है और इन राज्यों के संबंधित विभाग (कृषि/सहकारिता विभाग) और नेफेड के समन्वय से एक खरीद कार्यनीति लागू की जा रही है। इस प्रकार, एमएसपी पर खरीद के माध्यम से किसानों को सहायता देने से उन्हें दलहन का उत्पादन को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है और बफर के निर्माण में भी मदद मिलेगी।

2. मूल्य संबंधी पूर्वानुमान तथा नीतिगत हस्तक्षेप के लिए मूल्य निगरानी आँकड़ो का प्रयोग

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से दैनिक आधार पर एकत्र किए गए वर्ष 2009 के बाद के मूल्य संबंधी आँकड़े विभाग के पास उपलब्ध थे परंतु इन आँकड़ो को समेकित नहीं किया गया था। इस कार्य को पिछले वर्ष

किया गया और मूल्यों का यह परंपरा में प्राप्त आँकड़ा (लिगेसी डेटा) एरीमैक्स (व्याख्यात्मक भिन्नताओं सहित स्वसमाश्रयी संचलनात्मक औसत) के आधार पर मूल्य पूर्वानुमान मॉडल के रूप में निर्मित किया गया है। पिछले कई माह तक मॉडल की पूर्वानुमानिक परिशुद्धता का परीक्षण किया गया और इसे तर्कसंगत रूप में विश्वसनीय पाया गया है। एरीमैक्स में आपूर्ति को व्याख्यात्मक चर के रूप में प्रयोग कर उन परिवर्तनों को समाहित किया जाता है जो बढ़ी हुई उपलब्धता अर्थात मंडी तक पहुँच कर और आयात के माध्यम से भावी मूल्यों को प्रभावित कर सकते हैं।

पूर्वानुमानिक मूल्य भविष्यवाणी मॉडल से उत्पन्न परिणामों का प्रयोग कीमतों में नरमी लाने के लिए बफर से दालों की बिक्री के संबंध में निर्णय लेने के लिए किया जाता है। तद्नुसार, खुदरा हस्तक्षेप तंत्र के अनुसार मसूर और तूर की पेशकश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (क्रमश: 16 सितम्बर, 2021 और 24 सितम्बर, 2021 से) को कल्याणकारी कार्यक्रमों और उचित दर की दुकानों से खुदरा पैकों में उपभोक्ताओं द्वारा सीधी बिक्री के लिए तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बागवानी/डेयरी आदि आउटलेटों के लिए की गई है। त्रिपुरा ने पहले ही 25,000 मीट्रिक टन मसूर का ऑर्डर दिया है। असम और पश्चिम बंगाल के राज्यपालों ने भी रूचि जाहिर की है परंतु इन राज्यों से औपचारिक अनुरोध आदेश अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं। तूर के मामले में गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों से शीघ्र अपनी-अपनी आवश्यकताएं संसूचित करने की अपेक्षा है।

विभाग एक प्रतिगमन मॉडल भी विकसित कर रहा है ताकि प्रमुख मंडियों में मौजूदा कीमतों के आधार पर प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों में कीमतों के बारे में भविष्यवाणी की जा सके। मंडियों से उपभोक्ता केंद्रों तक कीमतों के प्रसार और समय-अंतराल का अध्ययन किया जा रहा है ताकि सर्वोत्तम प्रतिगमन मॉडल के संबंध में निर्णय लिया जा सके। आगे बढ़ते हुए, यह आँकड़ा-संचालित मॉडल प्रमुख दालों की कीमतों के संबंध में 6 माह पूर्व अर्थात् अगले फसल चक्र से पूर्व अनुमान लगाने के लिए एक उपयोगी साधन सिद्ध होगा और इस प्रकार अपेक्षित नीतिगत निर्णय लेने में सहायक होगा।

3. खुले बाजार में बिक्री (ओएमएस) के माध्यम से प्याज का निपटान

खुले बाजार में बिक्री एक ऐसा बाजार हस्तक्षेप तंत्र है जिसका उद्देश्य बाजार में समग्र उपलब्धता में सुधार लाकर कीमतों में नरमी लाना है। पिछले वर्ष ओएमएस के माध्यम से बफर से प्याज का निपटान करने से खरीफ और देर से प्राप्त होने वाली खरीफ की प्याज के उपलब्ध होने तक खुदरा मूल्यों पर अधोमुखी दबाव पड़ा।

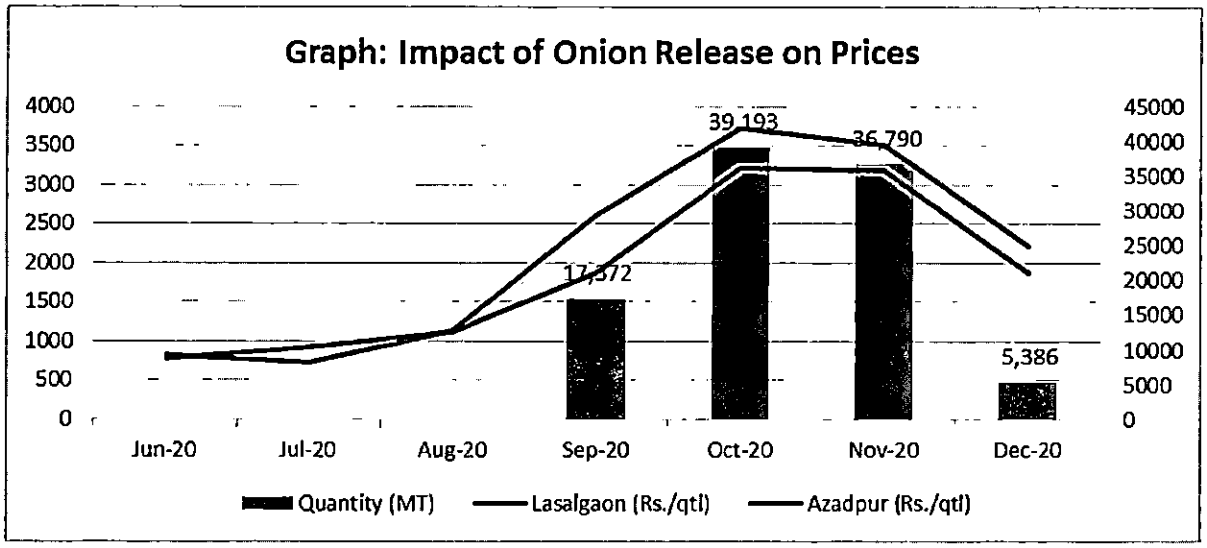

ग्राफ: प्याज की रिलीज का क़ीमतों पर प्रभाव – चार्ट हेडिंग

- मात्रा (एमटी) – लासालगांव (रु./क्विंटल) – आजादपुर (रु./क्विंटल) – चार्ट लास्ट लाइन

इस वर्ष ओएमएस के लिए अपनाई गई कार्यनीति लक्षित निपटान अर्थात उन राज्यों/ बाजारों में हीट मैप के समान कीमतों के भौगोलिक मानसिक चित्रण के अनुप्रयोग के माध्यम से स्टॉक रिलीज करना हैं जहाँ कीमतें अधिक है और उनमें वृद्धि का रुझान है।

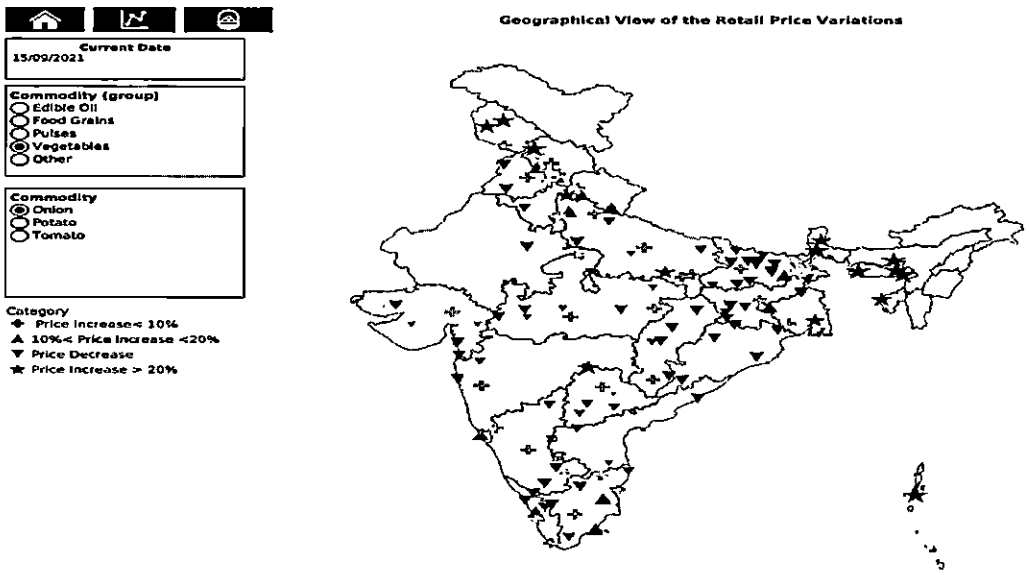

उपरोक्त मानचित्र सितम्बर, 2021 के मध्य में प्याज की कीमतों के बारे में संकेत उपलब्ध करवाता है। आँकड़ों के संबंध में मानसिक चित्रण (डेटा विजुअलाइजेशन) माह के दौरान प्याज ओएमएस के लिए बाजर चुनने के लिए आधार था और बफर से भावी निपटान के लिए भी यही सिद्धांत अपनाया जाएगा।